5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

157

न्यायालय – श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2013 विविध – 52 - II/13

1. खेमचंद पिता प्यारेलाल पटेल
   निवासी सुभाष नगर वार्ड सागर जिला
   सागर (म.प्र.)
2. मनोज दुबे पुत्र श्री बी.पी. दुबे
   निवासी नोबल कॉलेज के सामने रजाखेडी
   तहसील व जिला सागर
3. गोपाल बल्द बाबूलाल रेकवार
   निवासी 11/बी गल्ला बाजारा रोड,
   सागर तहसील व जिला सागर म.प्र.
4. कमलेश पुत्र बाबूलाल काछी
5. रामकिशन पुत्र नत्थू पटेल
   दोनों निवासीगण मकरौनिया बुजुर्ग
   तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट
द्वारा आज दि. 4-1-13 को
प्रस्तुत
4-1-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

WS
मुकेश भार्गव
4-1-13 एडवोकेट

विरूद्ध

1. गनेश बल्द स्व. बाबूलाल
2. गोवर्धन बल्द स्व. बाबूलाल
3. रामचरण बल्द स्व. बाबूलाल
4. रमेश उर्फ रामेश्वर बल्द बाबूलाल
   सभी निवासीगण मकरौनिया बुजुर्ग
   पोस्ट आफिस मकरोनिया तहसील व
   जिला सागर (म.प्र.)

5. रविन्द्र चौकसे
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर

6. एस.एल. विश्वकर्मा
तहसीलदार, सागर, जिला सागर

..... अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम

माननीय महोदय,

आवेदकगण की तरफ से निम्नलिखित प्रार्थना है :–

1– यह कि, आवेदकगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से अनावेदकगण से जमीन क्रय की थी तत्पश्चात विधिवत नामांतरण हेतु तेहसीलदार के न्यायालय में आवेदन किया गया था जिसमें विधिवत इश्तहार जारी किया जाकर विक्रेतागण को आहूत किया गया हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली गयी, विक्रेतागण द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नामांतरण की सहमति व्यक्त की गयी तत्पश्चात विधिवत नामांतरण आदेश पारित किया जाकर क्रय शुदा भूमि पर आवेदकगण का नाम दर्ज किया गया ।

2– यह कि, दिनांक 01.12.2012 को अनावेदकगण द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें दिनांक 11.12.12 एस.डी.एम. के यहां तारीख नियत की गयी इसी बीच दिनांक 4.12.12 को अनावेदकगण द्वारा स्थगन हेतु धारा 32 का आवेदन एस. डी.एम. के न्यायालय में आवेदन दिया जिस पर एस.डी.एम.द्वारा दिनांक 4.12.12 को रिसीब कर ऐसा स्थगन आदेश जारी किया कि रिकार्ड पूर्वत कर स्थगन आदेश जारी हो एवं दिनांक 01.12.12 को स्थगन जारी कर दिया। जिसमें तत्काल दिनांक 4.12.12 को ही तहसीलदार के निर्देश से हल्का पटवारी द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत कर दिया गया तथा तहसीलदार का रिकार्ड एस.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक M-52-IV/13 जिला सागर

खेमचंद / मनेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.7.16	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक अभि. द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। आवेदक अभिभाषक का निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नोटप्रेस में दर्ज कर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। अध्यक्ष	नोटप्रेस 25/7/2017

[कृ. प. उ.